

प्रमाण्य अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज ०]

तारीख पृष्ठा	वृत्त या कारीनाही
22 ⁵ / ₁₈	<p>विशेष कर (विशेष कर) का निर्धारण। विशेष कर (विशेष कर) का निर्धारण। दि. 30.5.18 को पत्र भेजा।</p> <p style="text-align: center;">✓</p>
30 ⁵ / ₁₈	<p>विशेष कर (विशेष कर) का निर्धारण। विशेष कर (विशेष कर) का निर्धारण। दि. 30.5.18 को पत्र भेजा।</p> <p style="text-align: center;">✓</p>
4 ⁶ / ₁₈	<p>पञ्चायती पेटा (दुई) (अधिकांश उद्योगों पर उपस्थित) पेटा. अधि. उ. उ. पत्र पेटा पर विवेक किया है कि पञ्चायत के उद्योग (अधी/पत्र) - आधा. से राजीनामा हो सुख है। उद्योग विवेक है कि उद्योग (अधी/पत्र) का निर्धारण किया जाये कि उद्योग (अधी/पत्र) (अधी. अधि.) से की (अधी) राजीनामा पेटे हुए (अधी) - पत्र पर हस्ता. विशेष है। उद्योग. पत्र (अधी/पत्र) किया गया/पत्र जाने (अधी) दि. 30.5.18 को पत्र भेजा।</p> <p style="text-align: center;">✓</p>
8/6/18	<p>पञ्चायती पेटा (दुई) (अधी/पत्र) का निर्धारण। दि. 22.5.18 के अन्तर्गत से स्पष्ट है कि दि. 22.5.18 को राजीनामा के आधार पर मूल काद Not Process में खारिज हो चुका है। अतः प्रस्तुत अपील अर्थात् निवेधाना के आधारे में खारिज अर्थात् के खिलाफ है। अतः जब मूल काद ही निस्तारित हो चुका है तो ऐसी दिवस में T.I. की गद्द अपील इन्फेक्चस (प्रभावी) हो चुकी है। अतः प्रस्तुत अपील इन्फेक्चस (प्रभावी) होने के कारण खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: right;">प्रमाण्य अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>